न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 70 / 2022

प्रार्थी :– 1. हाथीराम पुत्र मोटाराम जाति कलबी निवासी बुडीवाडा, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. जेठाराम पुत्र सवाराम,
2. मानाराम पुत्र सवाराम
3. सुराराम पुत्र सवाराम
4. बाबुराम पुत्र सवाराम
5. कोंकुदेवी बेवा सवाराम
6. दानाराम पुत्र खंगाराराम
7. चेलाराम पुत्र खंगाराराम
8. तुलसाराम पुत्र खंगाराराम
9. मोतीराम पुत्र खंगाराराम
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान रा0भू रा0 अधि0
बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :–

1. श्री करणसिंह सोंलकी वकील प्रार्थी
2. श्री कपलि श्रीमाली , वकील विप्रार्थीगण 1ता 7

आदेश दिनांक :– 6.09.2022

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य है कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 ता 7 की संयुक्त खातेदारी का खेत सरहद मौजा बुडीवाडा में स्थित है जिसके खसरा नम्बर 979 / 393 व क्षेत्रफल 01.3 बीघा है। उक्त आराजी के खसरा नंबर 979 / 393 से लगती हुई खसरा नंबर 976 / 393, 977 / 393, 978 / 393, 394 की भूमियां स्थित है जिसके खातेदार विप्रार्थीगण सख्या 1 ता 9 सेढा पडोसी है। प्रार्थी के खातेदारी भूमि में मौके पर नेखमबंदी व पत्थरगढी नहीं होने से प्रतिवर्ष फसल बोने के समय पडौसी खातेदारी से विवाद की संभावना बनी रहती है । जिससे प्रार्थी की नेखमबंदी व पत्थरगढी करवाकर अपनी सीमाओं को सुरक्षित करवाना आवश्यक हो गया है । प्रार्थी व पडौसी खातदेारों के मध्य कोई मनमुटाव व विवाद न होने तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, इस हेतु नेखमबंदी व पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया ।

प्रार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 14.03.2022 दर्ज कर विप्रार्थीगण सम्मन जारी किया गया। विप्रार्थी संख्या – 1 ता 9 को जारी रजिस्टर्ड नोटिस रसीदे [illegible] । विप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के वकील ने दिनांक 10.5.2022 को प्रार्थना पत्र का जबाब [illegible] करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है [illegible] पत्थरगढी व नेखमबंदी किया जाना संभव नहीं है। क्योंकि राजस्व नक्शें में गलत त[illegible] से तरमीम की गयी है । जिसे दुरस्त करवाने हेतु विप्रार्थी संख्या – 1 के द्वारा आवेदन पत्र पेश किया गया है । प्रार्थी के प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश होने एवं वादग्रस्त भूमि को लेकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:00:19 IST
Reason: Self Attested

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

थी का प्रार्थना पत्र विचाराधीन होने से प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया विप्रार्थी संख्या 8 व 9 के वकील द्वारा दिनांक 12.4.22 को वकालतनामा पेश किया गया। जबाब हेतु सात अवसर प्रदान किये गये जबाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी जबाब पेश नहीं करने के कारण जबाब का अवसर बंद किया गया ।

उभय पक्ष के वकीलो की बहस को सुना गया। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहरान करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश एवं नेख्मबंदी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदारी काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार करने का निवेदन किया । विप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के वकील ने जबाब में अंकित तथ्यो को दोहरान करते हुए निवेदन किया की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन पत्र पेश होने के कारण खारिज फरमाया जाएं।

हमने पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात एवं उभय पक्षकारन की बहस पर मनन किया गया । प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदारी काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज है एवं पत्थरगढी व नेखमबंदी द्वारा भूमि की मौके की भौतिक स्थिति में परिवर्तन किये बिना की जाती है। इस कारण विप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्तिया सारहीन होने से खारीज की जाती है एवं उक्त विवादित आराजी भूमि के सम्बन्ध मे किसी भी प्रकार का स्थगन नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी के आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि की पेमाईश एवं नेखमबंदी करने हेतु भूमापक भू0निरीक्षक जसोल को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी का खातेदारी खेत सरहद मौजा बुडीवाडा पटवार हल्का जागसा के खसरा संख्या 979/393 व क्षेत्रफल 01—03 बीघा मे नेखमबंदी करने से पूर्व एक तारीख निश्चित कर दोनो पक्षकारान को सूचित करवा कर दोनो पक्षों की उपस्थिति में यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापककर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि भूमि की मौके की स्थिति में परिवर्तन किये बिना नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। मौका कमिश्नर शुल्क एक हजार रूपये नियत किये जाते है, जिसे प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा। पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:00:19 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

आज दिनांक 6.09.2022 को आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी